# न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 678/एक/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 4-2-2011 पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 167/2009-10 अपील

रतनपाल (फोत) पुत्र गुरुदयाल
वारिस
श्रीमती पार्वतीदेवी पत्नि रामस्वरूप
ग्राम बिरखड़ी तहसील रौन
जिला भिण्ड , मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरुद्ध

रामविहारी पुत्र छोटे जाति बढ़ई
ग्राम बिरखड़ी तहसील रौन
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 17 - 11 -2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 167/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-2-11 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमती पार्वती देवी पत्नि रामस्वरूप ने तहसीलदार रौन के समक्ष आवेदन देकर मौजा विरखड़ी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1123, 1211, 1256, 1261 पर विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार रौन ने प्रकरण क्रमांक 25/77-78 अ6 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 20.9.09 पारित करके 1123, 1211, 1256, 1261 के रकबा 2.83 है. के अंश रकबा 0.56 पर क्रेता का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 6/08-09 में पारित आदेश दिनांक 7-7-10 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 167/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-2-11 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा व्यवहार न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के निराकरण अनुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क सुने तथा उनके व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार रौन ने प्रकरण क्रमांक 25/77-78 अ6 में आदेश दिनांक 20.9.09 पारित करके 1123, 1211,

1256, 1261 के रकबा 2.83 है. के अंश रकबा 0.56 पर क्रेता का नाम दर्ज करने के आदेश दिये है एंव इस आदेश को अनुविभागीय अधिकारी लहार ने प्रकरण क्रमांक 6/08-09 में पारित आदेश दिनांक 7-7-10 से स्थिर रखा है किन्तु अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक167/09 -10 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-2-11 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया है। विचार योग्य है कि क्या तहसीलदार व्दारा किये गये नामान्तरण को अपर आयुक्त व्दारा निरस्त करने में त्रृटि की गई है। वाद विचारित भूमि पर व्यवहार न्यायालय में स्वत्व के निराकरण का दावा क्रमांक 59 ए/ 2008 प्रचलित है एंव व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी हैं ऐसी स्थिति में माननीय व्यवहार न्यायालय से स्वत्व के सम्बन्ध में जो आदेश होंगे - तहसीलदार पालन हेतु बाध्य है जिसके कारण विद्वान अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 167/09 -10 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-2-11 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर